झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–07 / 2020

आफताब आलम .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता की ओर से : श्री डी0के0 चतुर्वेदी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री रवि प्रकाश, विशेष लो0 अभि0।

सूचक की ओर से : श्री लुकेश कुमार, अधिवक्ता।

02 / 10.01.2020 डी0 के0 चतुर्वेदी, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री रवि प्रकाश, विशेष लो0 अभि0, राज्य की ओर से, जिन्हें सूचक के अधिवक्ता लुकेश कुमार द्वारा सहायता प्रदान की गई, को सुना।

याचिकाकर्त्ता बेरमो थाना काण्ड संख्या 35 वर्ष 2019 तद्नुसार जी0आर0 वाद संख्या 245 वर्ष 2019 में आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने शादी के बहाने सूचक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि अश्लील वीडियो तैयार किया गया था, लेकिन बाद में याचिकाकर्त्ता ने शादी करने से इन्कार कर दिया।

पीड़िता के 164 Cr. P.C. बयान में हालांकि अनेक आक्षेप लगाए गए हैं लेकिन शारीरिक संबंध स्थापित करने में पीड़ित की सहमति ध्यान देने योग्य है। याचिकाकर्त्ता दिनांक 21.08.2019 से हिरासत में प्रतीत होता है।

उपरोक्त के आलोक में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) के जमानत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान एस0डी0जे0एम0, बेरमो, तेनुघाट के संतुष्टि पर, बेरमो थाना काण्ड संख्या 35 वर्ष 2019 तद्नुसार जी0आर0 वाद संख्या 245 वर्ष 2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है, बशर्ते वह शारीरिक रूप से प्रत्येक तिथि को, विचारण न्यायालय में, विचारण की समाप्ति त उपस्थित रहेगा।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)